का॰ज्ञा॰सं॰ 21034/21/2003–रा॰भा॰ (प्रशि॰), दिनांक 01 जुलाई, 2003

विषय: हिंदी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों पर नियुक्त सर्वकार्यकारी अधिकारियों को देय मानदेय की दरों में संशोधन।

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 8.2.1999 के का॰ज्ञा॰ सं॰ 49/1/98 हिशियो (मु॰)/29 में आंशिक संशोधन करते हुए अधोहस्ताक्षरी को, केंद्र सरकार के उन अधिकारियों, जिन्हें अपनी सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त हिंदी शिक्षण योजना के पूर्णकालिक/अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन अर्थात् केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों की देख रेख एवं जिम्मेदारियों के निर्वाहन हेतु सर्वकार्य भारी अधिकारी के रूप में अवैतनिक तौर पर नियुक्त किया गया है, को देय मानदेय की दरों में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की संस्वीकृति, सूचित करने का निदेश हुआ है। सर्वकार्यभारी अधिकारियों को देय मानदेय की संशोधित दरें निम्न प्रकार होंगी:–

(i)	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में हिंदी शिक्षण योजना के ऐसे पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 1 से 5 तक नियमित हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशुलिपि) तैनात हैं।	260.00 रुपए प्रतिमाह
(ii)	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में हिंदी शिक्षण योजना के ऐसे पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 6 या इससे अधिक नियमित हिंदी प्राध्यापक/सहायक निदेशक (हिंदी टंकण/आशुलिपि) तैनात हैं।	375.00 रुपए प्रतिमाह
(iii)	ऐसे सर्वकार्यभारी अधिकारी जिनकी देखरेख में हिंदी शिक्षण योजना के ऐसे अंशकालिक, प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां 20 या इससे अधिक प्रशिक्षार्थी दर्ज है।	130.00 रुपए प्रतिमाह

2. इस संबंध में अन्य शर्तें वही होंगी जो शर्तें इस विभाग के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित हैं।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उनकी टिप्पणी डायरी सं॰ 76/वित्त II/हिंदी/03, दिनांक 09 जून, 2003 के तहत प्रदान किए गए अनुमोदन से जारी किया गया है।

4. मानदेय की ये संशोधित दरें 01 जुलाई, 2003 से प्रभावी होंगी।